न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 147 / 2022
विजयसिह उम्र 51 साल पुत्र श्री प्यारेलाल, जाति नायक, निवासी बासेड़ो का बास तन सोनासर, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश उम्र 58 साल पुत्र श्री रामेश्वरलाल, जाति मेघवाल, निवासी मोडसरा का बास तन सीगड़ा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. तहसीलदार महोदय, झुझुनू तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. तुलसीराम पुत्र गौरीशंकर, जाति रैगर, निवासी महारोली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, हाल वार्ड नं0 1, अम्बेडकरनगर, चूरू रोड, झुंझुनूं।
4. आयुक्त, नगर परिषद्, झुंझुनूं

——रेस्पोडेन्ट्स

——

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.05.2022 द्वारा तहसीलदार झुंझुनूं के नामान्तकरण सं0 4751 वाके कस्बा झुंझुनूं पटवार हल्का झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

——

उपस्थितः—

1. श्री इकरार अली, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित।
4. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर से उपस्थित।
5. श्री मुकेश वशिष्ट, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से उपस्थित। .

आदेश

दिनांक 09.01.2023

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 17.05.2022 नामान्तरकरण संख्या 4751 वाके कस्बा झुंझुनूं के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि अपीलान्ट ने कस्बा झुंझुनूं की सरहद में हाल खसरा नं0 986 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नं0 987 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं0 1120 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं0 1121 रकबा 0.65 हैक्टेयर व खसरा नं0 1122 रकबा 0.2749 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.0249 हैक्टेयर भूमि मे से जरिये विकय पत्र 0.33 हैक्टेयर भूमि दिनांक 21.09.16 को तथा 0.8249 हैक्टर भूमि दिनांक 08.11.2017 को कुल 1.1549 हैक्टर भूमि सुण्डाराम से कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से लेकर आज तक उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के 1.1549 हैक्टर हिस्से पर अपीलान्ट का विधिवत कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट ने खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाने बाबत [illegible] पत्र श्रीमान तहसीलदार झुंझुनूं के यहां लेकर गया तब प्रार्थी को पता चला कि उक्त [illegible] का दिनांक 17.05.22 को नामान्तरकरण सं0 4751 नगर परिषद [illegible] नाम दर्ज कर [illegible] गया है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी उक्त खस[illegible] दस्तावेजात् की [illegible] 09.09.2022 व 13.09.2022 को नकल [illegible] को पता चला कि सु[illegible] अपीलान्ट को भूमि विकय करने से पूर्व ही दिनांक 08.07.2006 को उक्त भूमि को 90बी में परिवर्तित करवाली थी तथा उक्त 90 बी के आधार पर ही उक्त नामान्तरकरण सं 4751 भरा

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.11 16:07:58 IST
Reason: SelfAttested

गया है। श्रीमान तहसीलदार झुंझुनूं ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, झुंझुनूं के 90बी के आदेश दिनांक 08.07.2006 के आधार पर उक्त आदेश के करीब 16 वर्ष बाद दिनांक 17.05.22 को उक्त आदेश की पालना में उक्त भूमि को नगर परिषद झुंझुनूं के नाम दर्ज कर दी। श्रीमान तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने उक्त भूमि की सही मौका रिपोर्ट लिये बिना ही दिनांक 17.05.22 को उक्त भूमि को नगर परिषद झुंझुनूं के नाम नामान्तरकरण सं0 4751 से दर्ज कर दी। राजस्व अधिनियम में आदेश की पालना बाबत मियाद अवधि नही अंकित होने के कारण परिसीमा अधिनियम की धारा 2(ज) अनुच्छेद 136 के अनुसार कानूनन किसी भी आदेश की पालना में नामान्तरकरण 12 वर्ष की अवधि के अन्दर ही आदेश की पालना की जा सकती है लेकिन श्रीमान तहसीलदार महोदय झुंझुनूं द्वारा विधि के विरूद्ध जाकर उक्त नामान्तरकरण भरा गया हैं जो निरस्त होने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने जागो जनता सोसाईटी की जनहित याचिका पर 2011 में 90बी धारा को अवैध करार देते हुये धारा 90बी को निरस्त कर संशोधित धारा 90ए को लागू कर दिया गया । इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक की पालना सन् 2011 से पूर्व तक करवाई जा सकती थी। इसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर मियाद बाहर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के 90बी आदेश की पालना के लिए जिस व्यक्ति ने आवेदन किया उसका पालना करवाने का लोक्सटेन्डाई नही था। अपीलान्ट को दिनांक 17.05.2022 के नामान्तरकरण दर्ज होने की जानकारी नही थी। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी उक्त खसरा नम्बरान की भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजात् की नकल निकलवाई जो अपीलान्ट को दिनांक 09.09.2022 व 13.09.2022 को मिली तब उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। जिस पर यह अपील तुरन्त बिना किसी देरी से प्रस्तुत की जा रही है। जो अन्दर मियाद मानी जावे। फिर भी किसी प्रकार की कोई कानूनी कमी न रहे इसके लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 को निरस्त फरमाये तथा अदालत मातहत का निर्देशित किया जावे कि वह सही जांच कर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण भरा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने कस्बा झुंझुनूं की सरहद में हाल खसरा नं0 986 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नं0 987 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं0 1120 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं0 1121 रकबा 0.65 हैक्टेयर व खसरा नं0 1122 रकबा 0.2749 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.0249 हैक्टेयर भूमि मे से जरिये विक्रय पत्र 0.33 हैक्टेयर भूमि दिनांक 21.09.16 को तथा 0.8249 हैक्टर भूमि दिनांक 08.11.2017 को कुल 1.1549 हैक्टर भूमि सुण्डाराम से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से लेकर आज तक उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के 1.1549 हैक्टर हिस्से पर अपीलान्ट का विधिवत कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट ने खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार झुंझुनूं के यहां लेकर गया तब प्रार्थी को पता चला कि उक्त सम्पूर्ण भूमि का दिनांक 17.05.22 को नामान्तरकरण सं0 4751 नगर परिषद के नाम दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी उक्त खसरा नम्बरान की भूमि से संबंधित दस्तावेजात् की दिनांक 09.09.2022 व 13.09.2022 को नकल निकलवाई तब अपीलान्ट को पता चला कि सुण्डाराम ने अपीलान्ट को भूमि विक्रय करने से पहले दिनांक 08.07.2006 को उक्त भूमि को 90बी में परिवर्तित करवाली थी तथा उक्त 90 बी के आदेश पर ही उक्त नामान्तरकरण सं 4751 भरा गया है। श्रीमान तहसीलदार झुंझुनूं के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी महोदय, झुंझुनूं के 90बी के आदेश दिनांक 08.07.2006 के आदेश पर उक्त आदेश के करीब 16 वर्ष बाद दिनांक 17.05.22 को उक्त आदेश की पालना में उक्त भूमि को नगर परिषद झुंझुनूं के नाम दर्ज कर दी। श्रीमान तहसीलदार महोदय झंझुनूं ने उक्त भूमि की सही मौका रिपोर्ट लिये बिना ही दिनांक 17.05.22 को उक्त भूमि को नगर परिषद झुंझुनूं के नाम नामान्तरकरण सं0 4751 से दर्ज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.11 16:07:58 IST
Reason: SelfAttested

लिपिक कलेक्टर झुंझुनूं

दी। राजस्व अधिनियम मे आदेश की पालना बाबत मियाद अवधि नही अंकित होने के कारण परिसीमा अधिनियम की धारा 2(ज) अनुच्छेद 136 के अनुसार कानूनन किसी भी आदेश की पालना में नामान्तरकरण 12 वर्ष की अवधि के अन्दर ही आदेश की पालना की जा सकती है लेकिन श्रीमान तहसीलदार महोदय झुंझुनूं द्वारा विधि के विरूद्ध जाकर उक्त नामान्तरकरण भरा गया हैं जो निरस्त होने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने जागो जनता सोसाईटी की जनहित याचिका पर 2011 में 90बी धारा को अवैध करार देते हुये धारा 90बी को निरस्त कर संशोधित धारा 90ए को लागू कर दिया गया । इस प्रकार उक्त आदेश दिनांक की पालना सन् 2011 से पूर्व तक करवाई जा सकती थी। इसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर मियाद बाहर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के 90बी आदेश की पालना के लिए जिस व्यक्ति ने आवेदन किया उसका पालना करवाने का लोक्सटेन्डाई नही था। अपीलान्ट ने उप महानिरीक्षक को विक्रय पत्र के कम मे बकाया वसूली की राशि जमा कराई है। अपील मे केता को पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलान्ट के पास विक्रय पत्र है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 को निरस्त फरमाये तथा अदालत मातहत का निर्देशित किया जावे कि वह सही जांच कर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण भरा जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण सं0 4751 से कोई दिक्कत नही है। अपीलान्ट के पास विक्रय पत्र है तो अपीलान्ट पट्टा जारी करवा सकता है। अपीलान्ट ने स्व0 सूण्डाराम को झांसे मे लेकर विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है। रेस्पोडेन्ट सं0 विवादित भूमि मे 0.20 है0 का केता है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 का नाम जमाबन्दी मे आया है एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार हुआ था। प्रकरण मे 90 बी का आदेश निरस्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण को खारीज नही किया जा सकता है। अपीलान्ट सिविल न्यायालय मे चाराजोही कर सकता है या फिर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां अपील कर सकता है। अपीलान्ट की यह अपील इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है। अपीलान्ट की यह अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

बहस के दौरान राजकीय वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि नामान्तरकरण सं0 4751 विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है जो बाद जांच नियमानुसार भरा गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि काश्त की भूमि नही है। विवादित भूमि को स्व0 सूण्डाराम ने वर्ष 2006 मे ही राज्यहित मे समर्पित कर दी थी। विवादित भूमि के कम मे 90बी की कार्यवाही हो चुकी है। स्व0 सूण्डाराम ने विवादित भूमि को प्लाटों के रूप मे टुकडों मे विक्रय कर दिया था। विवादित भूमि के मौके पर नगर परिषद् द्वारा सडकें बनाई जा चुकी है, बोरिंग बना हुआ है, निवासरत लोगों को बिजली [illegible] है। विवादित भूमि मे राजकीय विघालय भी चल रहा है। अपीलान्ट ने न्यायालय [illegible] अधिकारी, झुंझुनूं के आदेश को चेंलेज नही किया है। विवादित भूमि [illegible] हुई है। अपीलान्ट ने 90बी की कार्यवाही की अपील नही की [illegible] जो अन्तिम [illegible] है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.11 16:07:58 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 4 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि को स्व0 सूण्डाराम ने वर्ष 2006 मे समर्पण पत्र

पेश किया था जिसके क्रम मे विवादित भूमि को राज्यहित मे नगर परिषद् के नाम दर्ज किया जा चुका है। विवादित भूमि के मौके पर सघन आबादी बसी हुई है। नगर परिषद् के स्तर पर विवादित भूमि मे बसे लोगों को पट्टे जारी किये जाने है। अपीलान्ट ने 90बी की कार्यवाही की अपील नही की है जो अन्तिम कार्यवाही है। 90बी की अपील सुनने के लिए माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर ही सक्षम है। अपीलान्ट की यह अपील इस न्यायालय मे चले योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि कस्बा झुंझुनूं स्थित भूमि हाल खसरा नं0 986 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नं0 987 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं0 1120 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नं0 1121 रकबा 0.65 हैक्टेयर व खसरा नं0 1122 रकबा 0.2749 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.0249 हैक्टेयर के क्रम मे नियमानुसार 90बी की कार्यवाही होने पर नगर परिषद्, झुंझुनूं के पक्ष मे नामान्तरकरण सं0 4751 दिनांक 17.05.2022 नियमानुसार भरा गया है। विवादित भूमि के मौके पर सडक व बोरिंग बनाये जा चुके है। निवासरत लोग बिजली व पानी कनेक्शन लेकर आबाद है। विवादित भूमि मे राजकीय विद्यालय भी संचालित है। इस प्रकार विवादित भूमि काश्त के योग्य नही है। विवादित भूमि मे सघन आबादी बसी हुई है तथा मौके पर अपीलान्ट का कब्जा भी नही है। अपीलान्ट को 90बी की कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिए थी। वकील अपीलान्ट ने आदेश के 12 साल बाद नामान्तरकरण खोला जाना गलत बताया है। वस्तुतः उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं के आदेश दिनांक 08.07.2006 के क्रम मे नामान्तरकरण 12 साल बाद खोला गया है परन्तु ऐसी बाध्यता न्यायालय की डिक्री के लिए है। नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिंडिंग की कार्यवाही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 17.05.2022 यथावत रखा जाता है। अपील खारीज होने की स्थिति मे स्थगन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो चुका है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.11 16:07:58 IST
Reason: SelfAttested